

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/19/ ॥॥५५

दिनांक: २१/४/१९

आदेश

श्री ताराराम माली, सभापति, नगर परिषद, सिरोही को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(च)()जांच/डीएलबी/16/1971 दिनांक 05.08.19 द्वारा सभापति के पद से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद सिरोही में सभापति का पद ओवीसी वर्ग (सामान्य) के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्री धनपत सिंह राठौड़, उप सभापति, नगर परिषद सिरोही को सभापति के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

२१/४/१९
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/18/ ॥॥५५-६६ दिनांक: २१/४/१९

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सिरोही।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही।
10. श्री धनपत सिंह राठौड़, उप सभापति, नगर परिषद सिरोही।
11. प्रोमोमर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी